न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,पीपाड़ शहर जोधपुर (ग्रामीण) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 56/2023
जीसीएमएस नं. :– 2023/87

प्रार्थीगण :–
1. मालाराम पुत्र मंगलाराम
2. राजुराम पुत्र मंगलाराम
जातियान मेघवाल निवासीगण नानण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–
सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अधिवक्ता प्रार्थी।
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

दर्ज तारीख :– 04.04.2023

आदेश

दिनांक : 06.11.2023

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम नानण की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 453 रकबा 2.7021 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 383/5 रकबा 1.4562 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय भूमि आयी हुई हैं। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । ग्राम नानण में स्थित वादग्रस्त आराजी का फोतेदगी म्युटेशन 1712 व 1613 स्वीकृत किया गया। जिसमें प्रार्थी सं. एक का नाम घरेलु बोलचाल वाला नाम मालूराम पुत्र मंगलाराम इन्द्राज कर दिया गया तथा प्रार्थी सं. दो का नाम राजेन्द्र पुत्र मंगलाराम दर्ज हो गया जिसको दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी सं. एक का सही नाम मालाराम पुत्र मंगलाराम व प्रार्थी सं. दो का राजुराम पुत्र मंगलाराम इन्द्राज करने हेतु उक्त रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश हैं। प्रार्थी सं. एक के सर्विस रिकार्ड एंव सरकारी विद्यालय के रेकर्ड में प्रार्थी सं. एक का नाम मालाराम पुत्र मंगलाराम दर्ज हैं, प्रार्थीगण के मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी सं. एक का नाम मालाराम पुत्र मंगलाराम दर्ज है तथा प्रार्थी सं. दो नाम राजुराम पुत्र मंगलाराम दर्ज हैं तथा परिवार कार्ड एवं अन्य सभी सरकारी दस्तावेजो में प्रार्थी सं. एक का नाम मालाराम पुत्र मंगलाराम दर्ज है व प्रार्थी सं. दो का नाम राजुराम पुत्र मंगलाराम इन्द्राज है इसलिए वादग्रस्त आराजी का रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण के सही नाम इन्द्राज किये जावें। मामला प्रथम दृष्टया रेकर्ड दुरूस्ती का है इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण का नाम वादग्रस्त आराजी में दुरूस्त फरमाया जावें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है

4

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

कि ग्राम नानण की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 453 रकबा 2.7021 हैक्टयर प्रथम, खसरा नम्बर 383/5 रकबा 1.4562 हैक्टयर भूमि का रेकर्ड दुरूस्त फरमाते हुए प्रार्थी सं. एक नाम मालूराम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर मालाराम पुत्र मंगलाराम व प्रार्थी सं. दो का नाम राजेन्द्र पुत्र मंगलाराम के स्थान पर राजुराम पुत्र मंगलाराम इन्द्राज करने का आदेश फरमावें एवं उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मालुराम पुत्र मंगलाराम व राजेन्द्र पुत्र मंगलाराम दर्ज है जो गलत हैं। जिन्हे सही कर मालाराम पुत्र मंगलाराम व राजुराम पुत्र मंगलाराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की अनुशंषा की हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम नानण की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 453 व 383/5 में दर्ज नाम मालुराम पुत्र मंगलाराम व राजेन्द्र पुत्र मंगलाराम के स्थान पर मालाराम पुत्र मंगलाराम व राजुराम पुत्र मंगलाराम किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार ने भी इस सम्बन्ध में अनापति जाहिर की हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नानण की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 453 व 383/5 में दर्ज नाम मालुराम पुत्र मंगलाराम व राजेन्द्र पुत्र मंगलाराम के स्थान पर मालाराम पुत्र मंगलाराम व राजुराम पुत्र मंगलाराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 06.11.2023 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर